संख्या-98/2015/807/एक-5-2015-93/03(ए)

प्रेषक,

मनिराम सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0प्र0
लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-5 **लखनऊ : दिनांक 11 जून, 2015**

विषयः- कलेक्ट्रेट भवन बाराबंकी के अनावासीय भवनों के पुर्ननिर्माण कार्य हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 12 वें वित्त आयोग के अन्तर्गत कलेक्ट्रेट भवन बाराबंकी के अनावासीय भवनों के पुर्ननिर्माण कार्य हेतु शासनादेश संख्या-1908/एक-5-07-04/07, दिनांक 08-11-2007 द्वारा अनुमोदित लागत रू0 675.75 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रथम किश्त के रूप में रू0 120.00 लाख, शासनादेश संख्या-982/एक-5-08- 04/07, दिनांक 25-3-08 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0 120.00 लाख, शासनादेश संख्या-429/एक-5-09-93/03, दिनांक 07-2-09 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में 200.00 लाख तथा शासनादेश संख्या-1719/1-5-09-93/03, दिनांक 31-7-09 द्वारा चतुर्थ किश्त के रूप में रू0 235.75 लाख अवमुक्त की गयी। शासनादेश संख्या-184/1-5-09-93/03, दिनांक 12-1-2011 द्वारा अनुमोदित पुनरीक्षित लागत रू0 970.89 लाख के सापेक्ष पंचम किश्त के रूप में रू0 100.00 लाख तथा शासनादेश संख्या-24/एक-5-2013-93/03(ए), दिनांक 21 जनवरी, 2013 द्वारा षष्टम किश्त के रूप में रू0 100.00 लाख तथा शासनादेश संख्या-587/एक-5-2013-93/03(ए), दिनांक 20 अगस्त, 2013 के द्वारा सप्तम/ अन्तिम किश्त के रूप में रू0 95.14 लाख अर्थात् पुनरीक्षित अनुमोदित लागत रू0 970.89 लाख के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। उक्त के क्रम में, अब शासनादेश संख्या-169/एक-5-2015-93/03(ए), दिनांक 25 मई, 2015 द्वारा उक्त कार्य हेतु अनुमोदित पुनः पुनरीक्षित लागत रू0 1061.93 लाख के सापेक्ष अन्तर की धनराशि के रूप में रू0 37.94 लाख (रूपये सैतीस लाख चौरान्नबे हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना हेतु पुनरीक्षित लागत के सापेक्ष किसी अन्य स्त्रोत से धनराशि न तो स्वीकृत की गयी और न ही अन्य किसी योजना में वित्त पोषण हेतु प्रस्तावित है।

(2) सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा कार्य की विशिष्टयां, मानक व गुणवत्ता सुनिश्चित कराते हुए कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण कराया जायेगा।

(3) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अतः इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (vii) में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त कार्य के लिये भविष्य में पुनः पुनरीक्षित लागत स्वीकृत किये जाने पर विचार नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) राजस्व परिषद द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि नियमानुसार आहरित कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को उक्त प्रायोजन हेतु शीघ्र उपलब्ध करा दी जायेगी, जिसका व्यय नियमानुसार इसी वित्तीय वर्ष में किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। कार्य पूर्ण होने पर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था से कार्य की सम्परीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

(6) शेष 05 प्रतिशत की धनराशि अवमुक्त करने की कार्यवाही परियोजना के कार्य पूर्ण होने तथा उसकी गुणवत्ता से सन्तुष्ट होने पर की जायेगी।

(5) शेष शर्तें मूल शासनादेश के अनुसार यथावत् रहेंगी।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-50 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-01-कार्यालय भवन-800-अन्य व्यय-21-प्रदेश के मण्डल/जनपद/तहसीलों के अनावासीय भवनों के चालू कार्यों एवं भूमि क्रय हेतु-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30 मार्च, 2015 के द्वारा दिये गये दिशानिर्देशों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
मनिराम सिंह
उप सचिव।

संख्या-98/2015/807(1) /एक-5-2015-93/03(ए), तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2) कोषाधिकारी, लखनऊ।
(3) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(5) जिलाधिकारी, बाराबंकी।
(6) प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0/संबंधित परियोजना प्रबंधक।
(7) राजस्व अनुभाग-6
(8) गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,
मनिराम सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।